ालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री महीपाल कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 110 / 2014
तारीख दायरा : 22.12.2014
तारीख फैसला : 25.06.2016

वादी	बनामः	प्रतिवादी
श्री करणसिंह पुत्र धीरसिंह जाति राजपूत निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–
1–वादी की ओर से वकील सवाई सिंह सोलंकी
2–प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 25.06.2016

राजस्व वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. कि वादी श्री करणसिंह पुत्र धीरसिंह जाति राजपूत निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर ने धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुमेरपुर के खसरा नं. 192 / 647 कुल रकबा 0.33 हैक्टर किस्म जाव दोयम भूमि पर वादी का संवत् 2044 के पूर्व से कब्जाकास्त चला आ रहा हैं। वादी ने उक्त भूमि में सुधार कार्य कर उपजाऊ बनाया हैं। वादी ने संवत् 2044 से 2063 तक की खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की हैं व जुर्माना / शास्ती रसीदें संलग्न की हैं।
2. कि वादी कानूनन कृषि भूमि का स्वामी बन गया हैं। उक्त वर्णित सिवायचक भूमि को वादी के नाम से नियमन / आवंटन एवं खातेदारी देने योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि वादी के नियमन कर वादी को राजस्व रेकर्ड में खातेदार घोषित करने का निवेदन किया हैं।
3. कि राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट सुमेरपुर में तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर से वादग्रस्त भूमि बाबत् जबाव / राजस्व रेकर्ड व मौका अनुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार सुमेरपुर के खसरा नं. 192 / 647 कुल रकबा 0.33 हैक्टर किस्म जाव दोयम भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज हैं। उक्त आराजी वादी को कभी नियमन या आवंटन नहीं हुई हैं।

क्रमशः पेज – 2।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

4. कि वादी का उक्त आराजी पर कभी लगातार कब्जा नहीं रहा हैं। वादी अतिक्रमी था, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वादी को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया हैं। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली हैं। वादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित होने से वादी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का नहीं बनता हैं। साथ ही माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के कतिपय आदेशो से स्पष्ट है कि मात्र राजकीय भूमि पर कब्जा होने से खातेदारी अधिकार किसी अतिक्रमी को प्रदत नहीं किये जा सकते । वाद वादी प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय लापोद के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला–पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला–पाली (राजस्थान)

Scanned by CamScanner